मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक :एफ 11/9/04/नियम/चार भोपाल, दिनांक 15/12/2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग ,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषयः- परामर्शी नियुक्त करने की सामान्य शर्तें ।

-0-

सामान्यतया शासन में स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्तियां की जाती हैं । किन्तु कई बार विशिष्ट प्रकृति के कामों के लिये विशेषज्ञों को परामर्शी (**Consultants**) के रूप में नियुक्त करना होता है । ऐसे परामर्शी पूर्ण-कालिक अथवा अंश कालिक आधार पर नियुक्त किये जा सकते हैं । पूर्ण-कालिक परामर्शी के मामले में कार्य की अवधि में उसे कोई अन्य कार्य लेने की अनुमति नहीं होती है । अंश कालिक परामर्शी के मामले में, चूंकि सेवाएं पूर्णकालिक आधार पर उपलब्ध नहीं होती, उसे अन्य काम लेने पर आपत्ति नहीं है । परामर्शी के रूप में लगाए गए अधिकारी या तो गैर- शासकीय ,बाहरी विशेषज्ञ अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हो सकते हैं ।

2. परामर्शियों को काम में लगाए जाने की अलग - अलग विभागों द्वारा अलग - अलग शर्तें निर्धारित की जाती हैं । इसमें एकरूपता की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं :-

(1) परामर्शियों (सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों अथवा बाहरी विशेषज्ञों) को ऐसे दैनंदिन कार्यों हेतु नहीं लगाया जाएगा जो नियमित कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किये जा सकतें हैं । परामर्शियों की सेवाएं केवल ऐसे कौशल / नैपुण्य के कार्यों हेतु ली जा सकेंगी जिनके लिये शासकीय सेवक उपलब्ध नहीं है अथवा ऐसे विशेषज्ञों को समय-सीमा के कार्यों जैसे परियोजना प्रतिवेदन इत्यादि के लिये लगाया जा सकेगा ।

(2) जिन मामलों में परामर्शी की नियुक्ति विभाग के नियमित कार्य हेतु की जाती है वहां इस प्रकार के पद परामर्शी के कार्य पूर्ण होने तक रिक्त रखे

जाना चाहिए । ऐसे मामलों में जहां सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवक की नियुक्ति अपरिहार्य हैं ऐसे मामलों में पद निर्माण हेतु उपयुक्त प्रस्ताव, प्रशासकीय विभाग के माध्यम से, वित्त विभाग को भेजे जायेगें । इस प्रकार के पदों की संख्या विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के अन्तर्गत संयुक्त संचालक एवं इससे उच्च स्तर के स्वीकृत पदों की संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(3) परामर्शी को न्यूनतम आवश्यक अवधि हेतु कार्य पर रखा जाएगा । बाह्य विशेषज्ञों के मामले में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवक के मामले में परामर्शी के रूप में कार्य पर लगाये जाने की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी । जो कार्य दो वर्ष अथवा 6 माह की अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता है ऐसे कार्य हेतु परामर्शी की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए ।

(4) किसी भी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को परामर्शी के रूप में 65 वर्ष की आयु के पश्चात नहीं लगाया जाना चाहिए । इसमें किसी भी प्रकार का शिथिलीकरण नहीं दिया जाए ।

(5) (i) परामर्शी को देय फीस / मानदेय विभागों द्वारा व्यक्ति के स्तर तथा कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखतें हुए वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित करना होगा ।। गैर शासकीय सेवकों ,बाहरी विशेषज्ञों के मामले में पूर्ण-कालिक परामर्शी हेतु मानदेय की अधिकतम राशि रूपये 26,000 /- (बिना कोई मंहगाई भत्ता,गृह भाड़ा भत्ता,नगर क्षतिपूर्ति भत्ता अथवा अन्य राहत के) प्रतिमाह, अंशकालिक परामर्शी को अधिकतम रूपये 13,000 /- (बिना कोई मंहगाई भत्ता,गृह भाडा भत्ता,नगर क्षतिपूर्ति भत्ता अथवा अन्य राहत के) प्रतिमाह देय होगी ।।

(ii) सेवानिवृत्त हो रहे / सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के मामले में पूर्ण -कालिक परामर्शी के रूप में कार्य पर लगाये जाने पर मानदेय की राशि अधिकतम रूपये 13,000 /- प्रतिमाह तक सीमित रहेगी । ऐसे व्यक्ति अपनी पेंशन पर मंहगाई राहत अतिरिक्त रूप से प्राप्त करते रहेगें । यदि सेवानिवृत्त हो रहे / सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को अंश-कालिक परामर्शी के रूप में कार्य पर लगाया जाता है तो ऐसे मामले में मानदेय की राशि अधिकतम रूपये 6,500/- प्रतिमाह तक होगी ।इस राशि में उसके द्वारा आहरित पेंशन की राशि का समायोजन नहीं किया जायेगा

(iii) परामर्शी के लिए देय मानदेय निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा प्राप्त मानदेय अथवा पेंशन की राशि मिलाकर उसके द्वारा सेवानिवृत्ति पर आहरित वेतन से अधिक न हो । अंश-कालिक परामर्शी के रूप में देय मानदेय की राशि उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए । कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए विभाग मानदेय का भुगतान एक मुश्त अथवा तीन किश्तों में परामर्शी द्वारा संपादित कार्य को दृष्टिगत रखतें हुए कर सकता है ।

(iv) पूर्णकालिक परामर्शी की नियुक्ति हेतु विभाग को पद की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी । यदि इस हेतु पद उपलब्ध नहीं है तो वित्त विभाग की पूर्व सहमति से पद निर्माण कराना आवश्यक होगा ।

(v) पूर्णकालिक परामर्शी तथा अंशकालिक परामर्शी के मानदेय / फीस का भुगतान निर्धारित बजट शीर्ष "व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु अदायगियां" से किया जाएगा ।

(6) कार्य के सुचारू संचालन के लिये परामर्शी के स्तर को दृष्टिगत रखते हुये दैनिक भत्ता, दूरभाष एवं आवास सुविधाएं निम्नानुसार देय होगीं :-

(अ) शासकीय कार्य से दौरे पर जाने पर यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता राज्य शासन के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार समकक्ष स्तर के सेवारत शासकीय सेवकों के समान देय होगा ।

(ब) परामर्शी को दूरभाष सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

(स) परामर्शी को परिवहन सुविधा देय नहीं होगी तथा उन्हें परिवहन व्ययों की प्रतिपूर्ति की पात्रता सेवारत कर्मचारियों के समान ही होगी । परामर्शियों को निजी प्रयोजन हेतु निवास से कार्यालय आने-जाने हेतु भी स्टाफ कार की सुविधा देय नहीं होगी ।

(द) परामर्शियों को राज्य शासन द्वारा आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी और न ही उन्हें गृह भाडा भत्ता की पात्रता होगी ।

3. उपरोक्त निर्धारित शर्तों से अधिक कोई भी विभाग परामर्शियों के लिए सुविधा प्रदान नहीं करेगा । वित्त विभाग द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति का कोई प्रकरण मान्य नहीं किया जाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए. पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

सरकुलर//सुनीता//डेस्कटाप//81204//

पृष्ठांकन क्रमांकःएफ 11/9/ 2004/नियम/चार भोपाल दिनांक 15 दिसम्बर 2004
प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
2. सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्टार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाअधिकारी)मंत्रालय भोपाल
17. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश।
20. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी. वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

शाकेमुभो—1574—असविविभो—30-12-2004-800.